

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No.
103/2025

in

S.B. Criminal Revision Petition No. 498/2025

Akbar Son of Jakar, Resident of Raniyala Khurd @ Jhada, Police Station Hathin, District Palwal, Haryana. (At Present Confined In Sub Jail, Kishangarhbas, District Khairthal Tijara).

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ajay Kumar Sain, Adv. with Mr. Anupam Sharma, Adv. on behalf of Mr. Mohd. Shakir Khar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

07/04/2025

1. याची/अभियुक्त की ओर से यह सजा स्थगन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-438 सपठित धारा-442 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास, अलवर, राज. (जिसे आगे 'विचारण न्यायालय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या-83/2013, सरकार बनाम फकरुद्दीन वगैरा, अपराध अंतर्गत धारा 5,6,8(2) आर.बी.ए. एक्ट में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 16.07.2018 एवं न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1, किशनगढ़बास, अलवर, राज0 (जिसे आगे 'अपीलीय न्यायालय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा फौजदारी अपील प्रकरण संख्या-45/2018, अकबर बनाम सरकार में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 11.03.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अकबर

खां को धारा 6/8 (2) आर.बी.ए. एक्ट में एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,500/— रुपये अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दण्डादेश दिनांक 16.07.2018 की पुष्टि करते हुए याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की गई है।

2. विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। याची/अभियुक्त दिनांक 12.03.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

4. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है।

5. परिणामतः याची/अभियुक्त अकबर की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/— रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रुपए (अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **07.05.2025** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त अकबर पुत्र जाकर को अविलम्ब रिहा कर दिया जाए।

6. विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J